

फा. सं. 13030/09/2014-के.॥

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(जम्मू एवं कश्मीर प्रभाग)

कक्षा सं. 92 बी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 10th जुलाई, 2014
16

सेवा में

डॉ. नूतन ठाकुर
5/426, विराम खंड,
गोमती नगर,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत डॉ. नूतन ठाकुर द्वारा किया गया आवेदन।

महोदय,

कृपया गृह मंत्रालय के आर टी आई अनुभाग द्वारा उनके दिनांक 02.07.2014 के का. जा. सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई के तहत अंतरित किए जाने पर अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 04.07.2014 को प्राप्त अपने दिनांक 15.05.2014 के आर टी आई आवेदन का अवलोकन करें जिसमें "जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत गृह मंत्रालय द्वारा गठित आयोगों" के बारे में सूचना मांगी गई है।

2. चूंकि जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत गृह मंत्रालय के जम्मू एवं कश्मीर प्रभाग (के.॥ और के.॥।। डेस्क) द्वारा कोई जांच आयोग गठित नहीं किया गया है इसलिए सूचना 'शून्य' समझी जाए।
3. इस मामले में अपील प्राधिकारी श्री आर. के श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (कश्मीर), कक्षा सं. 127-ए नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली हैं।

भवदीया,

(श्रीमती सुलेखा)

उप सचिव, एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
दूरभाष: 23092696

प्रतिलिपि

- i) श्री एस. सामंत, अवर सचिव, आर टी आई अनुभाग, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके दिनांक 02.07.2014 के का. जा. सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई के संदर्भ में।
- ii) अनुभाग अधिकारी, (आई टी सैल) को अपील सहित उत्तर को गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।